कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम)
प्रशासन अनुभाग-3, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

:: आदेश ::

सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (अर्दली) को निदेश दिया जाता है कि उनके प्रभारी न्यायाधीश का अवकाश होने पर वे अपनी उपस्थिति 10:10 मिनट तक कार्यालय पूल (प्रशासन अनुभाग-3) में दर्ज करें। उपर्युक्त आदेश का पालन नहीं करने पर आदेश की जान बूझकर अनदेखी करना समझा जाएगा तथा संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

योगेश खन्ना

(योगेश खन्ना)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ0/प0)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

संख्या फ.2(3)प्रशासनअनुभाग-3(उ0/प0)/रोहिणी/2015/998-1003 दिनांक 19/09/15

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपर्युक्त निदेश पत्र की प्रतिनिम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
2. सभी चुतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यायिक अधिकारी (उ/प) के माध्यम द्वारा, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
3. सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अधीक्षक/अनुभाग प्रभारी (उ/प) के माध्यम द्वारा जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली
4. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
5. रिकार्ड अधिकारी उ/प, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
6. वेबसाइट, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

योगेश खन्ना 19/09/15

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ0/प0)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली